T.S- 83/2013

IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-83/2013

Raghubansh singh----------Plaintiff

Vs

Shyam Nandan singh & Others----------Defendants

Order

01.04.22 पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के तीन आवेदन दिनांक–15.02.21, अंतर्गत आदेश 22 नियम 4, अंतर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट एवं अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. पर उभय पक्षों को सुना गया।

तीनों आवेदन में वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–2 रामाधार सिंह की मृत्यु दिनांक– 24.01.20 को हो चुकी है, जिनके सभी विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का तीनों आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है एवं विलंब माफी हेतु अंतर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट तथा आदेश 22 नियम 9 का आवेदन दाखिल किया गया है। उक्त तीनों आवेदनों में विलंब का कारण कोरोना महामारी बताया गया है। अतः कोरोना महामारी के कारण विलंब माफ करते हुए प्रार्थना न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। कार्यालय तदनुसार प्रतिवादी सं0–2 के स्थान पर उनके वारिसान का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करे। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करें।

दूसरा आवेदन प्रार्थी आवेदक की ओर से दिनांक–06.08.21 प्रतिस्थापन आवेदन की मूल प्रति के साथ अंतर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

दूसरे आवेदन में प्रार्थी आवेदक का कथन है कि प्रस्तुत वाद के एकमात्र वादी रघुवंश प्रसाद सिंह का देहांत दिनांक–20.04.21 को हो गया है, जिनके स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में वादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः वादी रघुवंश प्रसाद सिंह के स्थान पर उनके वारिसान का नाम वादपत्र में पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी आवेदकगण का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा विलंब से दाखिल किया गया है। विलंब माफी हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट दाखिल किया गया है। अतः विलंब माफ करते हुए प्रार्थना न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। कार्यालय तदनुसार मृत वादी के स्थान पर उनके वारिसान का नाम वादपत्र में पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित करे।

दिनांक– 29.04.2022 वास्ते करने दाखिल सम्मन की अपेक्षिताएं एवं साक्ष्य।

01/04/2022

अवर न्यायाधीश